UPGK010060872026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।
पीठासीन अधिकारी-श्री चन्द्रभान सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06180
प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2715/2026

आदित्य नाथ पटेल उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र रामकृपाल, निवासी-ग्राम डुमरी खास, थाना चौरी-चौरा, जनपद गोरखनाथ।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार .....**विपक्षी।**

मु0अ0सं0-231/2026
धारा-69, 352,351(2),351(3) बी० एन० एस०
व 3(2)v, 3(1)द, 3(1)ध S.C./S.T Act.
थाना-चौरी चौरा, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक-07.08.2026

1. आवेदक/अभियुक्त आदित्य नाथ पटेल द्वारा जमानत हेतु उपरोक्त प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार रामकृपाल का शपथपत्र संलग्न किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में न तो दाखिल है और न लम्बित है।

2. अधिनियम की धारा-15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है।

3. सक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा पीड़िता द्वारा थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी शादी राजकुमार से दिनांक 06.06.2015 को हुई थी शादी के बाद वह अपने ससुराल आयी तो पता चला कि उसके पति शराब के नशे में उसको मारते पीटते थे। इसी बीच उसके ससुराल के ही आदित्य नाथ पटेल पुत्र रामकृपाल से मुलाकात हुआ तथा वह उसको अपने झासे में लेकर कहे कि तुम मेरे साथ रहो मैं तुमसे शादी कर लूगाँ। आदित्य नाथ पटेल के ही संसर्ग से उसको एक अंकित दिनांक 12.03.2020 को पैदा हुआ तथा एक दुसरा बच्चा अंशु दिनांक 07.11.2022 को पैदा हुआ। आदित्य नाथ पटेल शादी का झासा देकर उसका शारीरिक शोषड़ (बलात्कार) करते रहा। इसी बीच उसको पता चला कि आदित्य अपनी शादी मोनी पटेल नामक महिला से कर रहे है। जब उसने इसका विरोध किया तो उक्त आदित्य उससे कहे कि मैं शादी के तीन दिन बाद ही तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूगाँ तुम्हे स्टैम्प पर लिखकर दे दे रहा हूँ और खुद ही कचहरी से स्टेम्प बनवाकर उसे लाकर दिये तथा दिनांक 05.05.2026 को मोनी से शादी कर लिए कुछ दिन बीत जाने के बाद दिनांक 11.06.2026 शाम 8.00 बजे जब आदित्य पटेल उसके घर आये तथा वह उनसे शादी के लिए कही तो उक्त आदित्य उसको माँ बहन की गाली देकर कहे कि मादड़ चोद पासिन की जाति अपना मुह नहीं देखी हो मैं तुमसे शादी करुगाँ। अतः कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया हैं कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, महज रंजिशन मुकदमा हाजा में फर्जी रुप से फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त से कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के साथ कोई अपराध कारित नहीं किया है, वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थी के ऊपर लगाया गया आरोप एकदम असत्य एवं निराधार है। वादिनी मुकदमा शादीशुदा उम्रदराज महिला है तथा उसके दो बच्चे हैं तथा वादिनी का पति उसे हमेशा मारता-पीटता था कि कभी-कभार प्रार्थी उसकी मदद कर देता था जिसके कारण वादिनी का पति जो प्रार्थी के गांव का ही है, प्रार्थी से झगडा करने लगा जिसके कारण प्रार्थी, वादिनी मुकदमा से दूरी बनाने लगा तो वादिनी मुकदमा प्रार्थी से नाराज रहने लगी तथा प्रार्थी को पहले मनाने का प्रयास करने लगी और कहने लगी कि मैं अपने पति से तलाक लेकर तुमसे विवाह करूंगी तब प्रार्थी ने कहा कि मेरी शादी तय हो गयी है तथा तुम खुद शादीशुदा हो तुम्हारे दो-दो बच्चे हैं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता और तत्पश्चात् प्रार्थी का विवाह हो गया। आवेदक/अभियुक्त का विवाह हो जाने के उपरांत वादिनी, प्रार्थी को तरह-तरह से बदनाम करने की कोशिश करने लगी और अपने साथ प्रार्थी का

सम्बन्ध जो एक असत्य था, वाली बात प्रार्थी की पत्नी से बताने की धमकी देते हुए प्रार्थी को ब्लैकमेल करने लगी और प्रार्थी हिम्मत करके जब वादिनी से दूरी बना लिया तो वादिनी मुकदमा उपरोक्त मुकदमा फर्जी, मनगढ़त कहानी बनाकर प्रार्थी के थाने पर पंजीकृत करा दिया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने कभी भी वादिनी मुकदमा के घर जाकर उसको न तो मारा-पीटा और न ही गाली व धमकी दिया है और न ही शारीरिक सम्बन्ध बनाया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.06.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, पीड़िता द्वारा शादी करने को कहने पर उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, पीड़िता द्वारा शादी करने को कहने पर उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पीड़िता ने स्वयं को शादी शुदा महिला होना कहा है तथा उसके पति राजकुमार से दो बच्चे हैं। पीड़िता का कथन है कि अभियुक्त के द्वारा शादी का झांसा देकर उसका शारीरिर शोषण किया गया है तथा अभियुक्त आदित्य नाथ पटेल ने उससे शादी न करके अन्य लड़की मोनी पटेल से शादी कर ली है। अभियुक्त की ओर से पीड़िता के परिवार रजिस्टर की नकल दाखिल की गयी है, जिसमें पीड़िता खुशबू पासवान के पति एवं बच्चों के पिता का नाम राजकुमार अंकित है। जमानत प्रार्थनापत्र के कथनानुसार अभियुक्त दिनांक 21.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना- पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आदित्य नाथ पटेल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 75,000/- रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(चन्द्र भान सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।

I.D.No. : UP06180

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2026.08.07 16:54:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court